

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1252 सन 2021

अनवान :-

1. राजेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. प्रेम कुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मैना पत्नी शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
3. पूजा पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
4. गुडडी पुत्री तिलोकाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
5. शान्ति पुत्री तिलोकाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
6. रोहिताष पुत्र स्व सन्तोष जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
7. रणजीत पुत्र स्व सन्तोष जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
8. सरोज पुत्री स्व सन्तोष जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
9. अमरसिंह पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
10. इन्द्राज पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
11. ओमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
12. कृष्ण पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
13. संजना पत्नि सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
14. पुष्पा पुत्री सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
15. रामजस पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
16. सरोज पुत्री सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
17. भागु पुत्र रूपा जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
18. श्रवण पुत्र बीरबल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
19. राममूर्ति पुत्री बीरबल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
20. कालूराम पुत्र बीरबल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
21. बाधो पुत्री हीराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिस्थत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 67/66 की कुल 3.7900हैक् भूमि तिलोकाराम पुत्र ज्ञानाराम के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.9100हैक् वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी विरास्तन से वाद भूमि शंकरलाल पुत्र ज्ञानाराम एवं वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी शंकरलाल पुत्र ज्ञानाराम का देहान्त हो चुका है शंकरलाल की पत्नी मालीदेवी , एवं पुत्र शंकरलाल एव पुत्री सन्तोष का देहान्त हो चुका है इसलिये शंकरलाल के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है शंकरलाल के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जो वादी संख्या 1 की माता /बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसीप्रकार वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 जो एक ही परिवार के सदस्य है परिवारिक बाहमी बटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को

(स)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व);
नोहर

वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से शंकरलाल एव वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है शंकरलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो शंकरलाल के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है इसप्रकार वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने निवेदन किया उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को परिवारिक समझौता के अनुसार वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 22 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।


प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 67/66 की कुल 3.7900हैक् भूमि तिलोकाराम पुत्र ज्ञानाराम के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.9100हैक् वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी विरास्तन से वाद भूमि शंकरलाल पुत्र ज्ञानाराम एवं वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी शंकरलाल पुत्र ज्ञानाराम का देहान्त हो चुका है शंकरलाल की पत्नी मालीदेवी , एवं पुत्र शंकरलाल एव पुत्री सन्तोष का देहान्त हो चुका है इसलिये शंकरलाल के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है शंकरलाल के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जो वादी संख्या 1 की माता /बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसीप्रकार वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 जो एक ही परिवार के सदस्य है परिवारिक बाहमी बटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों


अधिवक्ता (राजस्व)
नोट

के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 67/66 की कुल 3.7900हैक् भूमि तिलोकाराम पुत्र ज्ञानाराम के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.9100हैक् वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि पूर्व में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 एव शंकरलाल के नाम से दर्ज है शंकरलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो शंकरलाल के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके परिवारिक समझौते के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 67/66 की कुल 3.7900हैक् भूमि तिलोका के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.9100हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर सयुक्त तौर से 1.6698हैक् भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है शेष सहखातेदार यथावत रहेंगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्वा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

- 1 राजेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
- 2 प्रेम कुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

- 1 मैना पत्नी शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
- 2 सुमन पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 3 पूजा पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 4 गुडडी पुत्री तिलोकाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 5 शान्ति पुत्री तिलोकाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 6 रोहिताष पुत्र स्व सन्तोष जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 7 रणजीत पुत्र स्व सन्तोष जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 8 सरोज पुत्री स्व सन्तोष जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 9 अमरसिंह पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 10 इन्द्राज पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 11 ओमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 12 कृष्ण पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 13 संजना पत्नि सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 14 पुष्पा पुत्री सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 15 रामजस पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 16 सरोज पुत्री सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 17 भागु पुत्र रूपा जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 18 श्रवण पुत्र बीरबल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 19 राममूर्ति पुत्री बीरबल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 20 कालूराम पुत्र बीरबल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 21 बाधो पुत्री हीराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
- 22 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1252 सन 2021 निर्णय दिनांक-05/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 67/66 की कुल 3.7900हैक भूमि तिलोका के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.9100हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर सयुक्त तौर से 1.6698हैक भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष सहखातेदार यथावत रहेग इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)